

निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 31/2023 (धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

राज्य सरकार जारिये रामचन्द्र शोरावत, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री पंकज उर्फ श्रवण लाल पुत्र श्री माधाराम, निवारी ग्राम फतेहसागर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर, हाल निवारी प्लॉट नम्बर 34, जय पथ, राम नगर, सोडाला, जयपुर।
2. श्री श्रवण विश्णोई पुत्र श्री सोना राम, जाति विश्णोई, निवारी लोहावट, पुलिस थाना लोहावट, जिला जोधपुर हाल प्लॉट नम्बर 34, जय पथ, रामनगर, सोडला, जयपुर।

अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी. मय एलपीजी 70. 400 किलोग्राम, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 विद्युत मोटर (गोल्ड स्टार) मय पाईप को साजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थित:-

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 06.12.2024

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के अवैध भण्डारण एवं रिफिलिंग की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक 16.04.2023 को कोहिनूर रेजिडेन्सी के सामने, माण्डया फार्म, रामपुरा रोड, जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 07 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी. एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 विद्युत मोटर (गोल्ड स्टार) मय पाईप पाया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रिफिलिंग करना पाया गया है। जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6-ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6-ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 12.06.2023 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावे। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।
3. बहस पैराकार रसद सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौरान बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि कोहिनूर रेजिडेन्सी के सामने, माण्डया फार्म, रामपुरा रोड, जयपुर की जांच की


जिला कलक्टर
जयपुर

गई। मौके पर अप्रार्थीगण की उपस्थिति में परिसर की जांच करने पर 07 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी., एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 विद्युत मोटर (गोल्ड स्टार) मय पाईप पाया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रिफिलिंग करना पाया गया है। मौके पर मैसर्स नारायणा भारत गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री नारायण लाल को बुला कर तौल कराया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डरो में कुल 70.400 किलो ग्राम एल.पी.जी. पाई गई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किया गया और न ही अवैध भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. पैरोकार रसद की बहस को गौर से सुना। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जकी दिनांक 16.04.2023 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।
6. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच 07 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी. मय एलपीजी 70.400 किलोग्राम, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 विद्युत मोटर (गोल्ड स्टार) गैस रिफिलिंग करने की मशीन से अवैध रिफिलिंग करते पाये गये। अप्रार्थीगण द्वारा विद्युत मोटर से घरेलू गैस सिलेण्डर से एल.पी.जी. का अवैध स्थानान्तरण किये जाने की पुष्टि होती है। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है, इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से एल.पी.जी. का अवैध रिफिलिंग का कार्य किया जाता है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।
7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 07 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी. मय एलपीजी 70.400 किलोग्राम, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 विद्युत मोटर (गोल्ड स्टार) मय पाईप को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।
8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 12.06.2023 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।
9. निर्णय की प्रति हस्त कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो।



निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


(डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर
जयपुर